



(A Government of India Undertaking)
Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi-110 607
Email -hosd@pnb.co.in

NOTICE

Notice is hereby given that the 14th Annual General Meeting of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Tuesday, the **30th of June, 2015 at 10.00 a.m.** at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2015, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare Dividend for the financial year 2014-15
3. Other business - Election of One Shareholder Director of the Bank

To elect **ONE** Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "**Act**"), read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "**Regulation Act**"). The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "**Scheme**") and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "**Regulations**") and Notification Nos. DBOD.No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "**the RBI Notification**") and the extant Government of India (GoI) Guidelines.

RESOLUTION (S):

To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following Resolution(s):

"RESOLVED THAT the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2015, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2015, the report of the Board of Directors on the working & activities of the Bank for the period covered by the Accounts & the Auditors Report on the Balance Sheet & Accounts are hereby adopted, approved & passed."

"RESOLVED FURTHER THAT Dividend @ Rs 3.30 per equity share of the Face value of ₹ 2/- each i.e. @165% as recommended by the Board of the Bank is here by declared & passed."

"RESOLVED FURTHER THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government, pursuant to Section 9(3) (i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made there under and RBI Notification, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the day after the declaration of results and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By the order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Gauri Shankar

(Gauri Shankar)
Executive Director

Place : New Delhi
Date: 12/05/2015

व्याख्यात्मक कथन

शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन

निदेशकों के चुनाव हेतु शेयरधारकों के अधिकार

निदेशकों का निर्वाचन करने के लिए शेयरधारकों का अधिकार भारत सरकार के अलावा शेयरधारक बैंक के पूंजी के 40.14% धारक हैं। अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम तीन निदेशक रखने का पात्र है। वर्तमान में बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक का पद खाली है।

तदनुसार, रिक्तियों को बैंक की दिनांक 30.06.2015 को आयोजित शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशक का पद भरा जाएगा।

अतः शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) अपना नामांकन भेजने के पात्र हैं अथवा सम्बद्ध अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना, विनियमन, अधिसूचना जिनके संबद्ध अंश इसमें दिये गये हैं, की विस्तृत प्रक्रिया अनुसार चुनाव लड़ सकते हैं। चुने गये निदेशक परिणामों की घोषणा के बाद से पदभार ग्रहण करेंगे और पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद पर बने रहेंगे।

कानूनी प्रावधान

इस मामले से संबंधित विभिन्न अधिनियमों/योजनाओं/विनियमों/अधिसूचना में दिए प्रावधान निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं :

अधिनियमों/योजना/विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 20
बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई), धारा 9(3)(i), धारा 9(3)(ए) से (सी), धारा9(3एए), धारा9(3एबी), धारा9(3बी), धारा13(2)
राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4), खंड10, खंड11, खंड11ए, खंड11बी, खंड12(8)
पंजाब नेशनल बैंक(शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2000	विनियम 10, 61ए से 70
भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या दिनांक 1.11.2007 डीबीओडी सं. बीसीसं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 एवं 23.05.2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) और धारा 9 (3एबी) के अनुक्रम में - राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए सक्षम और उपयुक्त मानदंड
सेबी दिशानिर्देश- परिपत्र संख्या : सीआईआर/सीएफडी /पॉलिसी सेल/ 2/ 2014 दिनांक 17.04.2014	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग
कंपनी(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 कंपनी(प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 द्वारा संशोधित कंपनी(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014	नियम 20 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग नियम 20
वित्तीय सेवाएं प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र सं.एफसं.16/83/2013-बीओआई 03.09.2013 और अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2011 के पत्र 16/17/2010-बीओआई दिनांक 13/10/2011 और इसमें आगामी संशोधन दिनांक 01.04.2015 और कोई अन्य संशोधन नामांकन भरने की तिथि के अनुसार	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश

EXPLANATORY STATEMENT

Election of Shareholder Director

RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTOR

Shareholders other than GOI hold 40.14% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3) (i) of the Act, Bank is entitled to have a maximum of three Directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). At present there is one vacancy of Shareholder Director on the Board.

Accordingly, the vacancy shall be filled in the Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Bank on 30/06/2015.

The shareholders (other than the Central Government) are entitled to send their nominations, if eligible, as per the procedure detailed in relevant Act, Regulation Act, Scheme, Regulations, Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. The elected director will assume office from the day after the declaration of results and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme / Regulations / Notification governing the matter.

ACTS/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATION	PROVISIONS
Banking Regulations Act, 1949	Section 20
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E), Section 9 (3) (i), Section 9 (3A) (A) to (C), Section 9(3AA), Section 9(3AB), Section 9(3B) Section 13(2)
The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4), Clause 10, Clause 11, Clause 11A, Clause 11B, Clause 12(8)
Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000	Regulation 10, 61A to 70
Reserve Bank of India Notification No. DBOD.No.BC. No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 – Fit and Proper criteria for elected Directors on the Boards of the nationalized banks.
SEBI guidelines – circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/2/2014 dated 17.04.2014	Electronic voting
The Companies (Management & Administration) Rules 2014 The Companies (Management & Administration) Rules 2014 as amended by The Companies (Management & Administration) Amendment Rules 2015	Rule 20 – voting through electronic means Rule 20
Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India letter no. F. No. 16/83/2013 – BOI dated 03.09.2013 and guidelines for selection of part time Non-Official Director vide letter no. 16/17/2010-BO.I dated 13.10.2011 as on 01.06.2011 and subsequent amendment thereto dated 01/04/2015 and any other amendment as on date of filing of nominations.	Guidelines for appointment of part time Non-Official Directors in Public Sector Banks.

उपर्युक्त प्रावधानों का सारांश नीचे दिया गया है :

बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949

धारा 20 में इसके किसी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने हेतु कुछेक सीमाओं का उल्लेख है।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

- धारा 3 (2ई) में केन्द्र सरकार से भिन्न किसी शेयरधारकों के मतदान अधिकार को सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10 प्रतिशत तक सीमित किया गया है।
- धारा 9(3)(i) में ऐसे बैंकों में शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या निर्धारित की गई है।
- धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) में कुछ योग्यताएं/शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनमें विनिर्दिष्ट है कि धारा 9(3)(i) के तहत नामित किए जाने वाले निदेशकों को कुछेक क्षेत्रों का विशेष ज्ञान होना चाहिए।
- धारा 9 (3 एए) और (3 एबी) में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उसके विगत रिकार्ड, निष्ठा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना संख्या: डीबीओडी.नं. बीसी.नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 तथा डीबीओडी.नं. बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के जरिए अधिसूचित किए गए मानदंडों के आधार पर “सक्षम और उपयुक्त” स्तर का न हो।
- धारा 9 (3बी) में भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत इस प्रकार चुने गए निदेशक को हटाने का अधिकार दिया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।
- धारा 13 (2) में तीसरी अनुसूची में दिए गए निष्ठा तथा गोपनीयता की घोषणा के अनुरूप होना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

- खंड 9(4) में कहा गया है कि कोई भी निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा परन्तु ऐसा कोई निदेशक लगातार 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।
- खंड 10 में निदेशकों के लिए कुछेक अयोग्यताएं विनिर्दिष्ट हैं।
- खंड 11 निदेशकों द्वारा पद रिक्त किए जाने से संबंधित है।
- खंड 11ए ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निर्वाचित निदेशक को हटाया जा सकता है और उसके स्थान पर रिक्त पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुना जा सकता है।
- खंड 11बी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है।
- खंड 12 (8) निदेशकों द्वारा कतिपय व्यवस्थाओं जिनमें उनका हित है, के संबंध में हितों के प्रकटीकरण से संबंधित है।

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2000

- विनियमन 10 में शेयरों की संयुक्तधारिता के मामले में मतदान अधिकार निश्चित किए गए हैं।
- विनियमन 61ए से 70 निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु प्रत्याशी के रूप में किसी व्यक्ति को नामित करने हेतु कुछेक शर्तें और चुनाव आयोजित करने की प्रक्रिया तथा अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित हैं।

THE GIST OF THE ABOVE MENTIONED PROVISIONS IS DESCRIBED HEREIN BELOW:

Banking Regulation Act, 1949

Section 20 places certain restrictions for granting any loan or advance to or on behalf of any of its directors.

Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

- Section 3 (2E) restricts the voting right of a shareholder other than the Central Government to Ten per cent of the total voting rights of all the shareholders.
- Section 9(3) (i) prescribes the maximum number of directors to be elected by the shareholders.
- Section 9 (3A) (A) to (C) prescribes qualifications and special knowledge in certain fields for the directors to be nominated under Section 9 (3) (i).
- Section 9 (3AA) and (3AB) prescribes that no person shall be eligible to be elected as director unless he/she is a person having “Fit and Proper” status based upon track record, integrity and such other criteria as per Reserve Bank of India Notification Nos.DBOD.No.BC.No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.
- Section 9(3B) deals with the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9(3) (i) of the aforesaid Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) and Section 9(3AA) of the said Act.
- Section 13 (2) deals with the obligation as to declaration of Fidelity and Secrecy in the form set out in the Third Schedule.

Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

- Clause 9(4) provides that an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office for a period exceeding six years.
- Clause 10 specifies certain disqualifications for directors.
- Clause 11 deals with vacation of office by directors.
- Clause 11 A deals with the situation where a director elected under Sec. 9(3) (i) of the Act may be removed and another person in his stead be elected to fill the vacancy.
- Clause 11B deals with casual vacancy.
- Clause 12(8) deals with disclosure of interest by directors, in certain arrangements in which they are interested.

Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000

- Regulation 10 determines the voting rights in the case of joint holding of shares.
- Regulations 61A to 70 prescribes certain conditions for nominating a person as a candidate for election as a Director, the procedure for conducting an election and deals with other incidental matters.

सेबी दिशानिर्देश: परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसी-सेल/2/2014 दिनांक 17.04.2014 के आदेशानुसार कम्पनी(प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के शर्तानुसार शेयरधारकों की आम बैठकों में ई-वोटिंग की सुविधा दी जानी चाहिए।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014

नियम 20 आम बैठक में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग की अवधि तथा बैठक में भाग लेने व वोट देने की शेयरधारकों की पात्रता का विश्लेषण करता है।

वैबसाइट में अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना के प्रावधान

- शेयरधारकों की सुविधा के लिए सम्बद्ध विनियम अधिनियम, अधिनियम, विनियमन, योजना तथा भा.रि.बैंक की अधिसूचना बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) पर प्रदर्शित है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

उम्मीदवार के लिये योग्यतायें

- उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9(3ए) में यथानिर्धारित योग्यताओं को पूरा करना होगा तथा योजना की धारा 10 में विनिर्दिष्ट अनर्हता वाला न हो तो विनियमन के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

- I. अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसरण में उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है एवं अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अधीन बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है, के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए।

(क) उसे निम्नलिखित मामलों में एक या अधिक का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :

- i. कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii. बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थशास्त्र
- v. वित्त
- vi. विधि
- vii. लघु उद्योग

viii. किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार बैंक के लिए उपयोगी हो।

(ख) वह जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो अथवा

(ग) वह किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

II- उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक पद के लिए नामांकन पद करने वाले प्रत्याशी को 'सक्षम एवं उपयुक्त' हैसियत वाला होना चाहिए।

III- इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशक को प्रसविदा विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

SEBI Guidelines – circular no. CIR/CFD/POLICY-CELL/2/2014 dated 17.04.2014 mandates that e-voting should be facilitated in General Meetings of shareholders in terms of The Companies (Management and Administration) Rules 2014.

The Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended by The Companies (Management and Administration) Amendment Rules 2015.

Rule 20 enumerates the period of e-voting and the eligibility of shareholder to attend & vote in the General Meetings.

PROVISIONS OF ACTS/SCHEME/REGULATION/NOTIFICATION IN WEBSITE

- For the convenience of the shareholders, the relevant Regulation Act, the Act, the Regulations, the Scheme as well as RBI Notifications are hosted on the Bank's website www.pnbindia.in – (Investor Info page), which are downloadable.

QUALIFICATION FOR A CANDIDATE

- The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, which are detailed herein.

I. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as a Director of the Bank under Section 9 (3)(i) of the Act shall:

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely :-

- i. agriculture and rural economy,
- ii. banking,
- iii. co-operation,
- iv. economics,
- v. finance,
- vi. law,
- vii. small scale industry.

viii. any other matter the special knowledge of and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

(B) represent the interest of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

II. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notifications a candidate being a shareholder of the Bank and who files nomination to be a Director of the Bank should possess 'Fit & Proper status'.

III. Further, the elected directors should execute the Deed of Covenants and are required to furnish annual declarations, as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

बैंक के निदेशक के रूप में चयन के लिए अनर्हता

- (अ) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसरण में कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अयोग्य होगा :-
- (क) यदि वह किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो, या उसने ऋण अदा न किया हो या लेनदारों के साथ समझौता किया हो, अथवा
- (ख) यदि वह विकृत मन का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा
- (ग) यदि वह किसी दंड न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता निहित हो, अथवा
- (घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्ध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ड.) एवं (च) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो और
- (आ) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी.नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2010-11 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी.नं.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अधीन बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा यदि वह 'सक्षम एवं उपयुक्त हैसियत' वाला न हो।

अंशकालिक गैर- आधिकारिक निदेशकों (एनओडी) के चयन हेतु दिशानिर्देशों का सार :

यदि निदेशक बैंक/एफआई के किसी भी श्रेणी के तहत पहले ही शामिल हैं, तो उस पर किसी भी अन्य बैंक/एफआई के गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में मनोनीत करने के लिए विचार नहीं जा सकता।

किसी भी व्यक्ति को बैंक/एफआई के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से मनोनीत नहीं किया जा सकता जिसने किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकालों या छः वर्षों जो भी अधिक हो के लिए पूर्व में निदेशक के रूप में सेवाएं दी हों।

बैंक/वित्तीय संस्थान के निदेशक के रूप में एनओडी के मनोनयन पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले ही छः वर्षों के लिए, चाहे नियमित या बीच बीच में किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक/शेयरधारक निदेशक हो।

अंशकालिक एनओडी के चयन के लिए सरकार के दिशानिर्देश शेयरधारक निदेशकों के चुनाव हेतु भी लागू होंगे।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या एफ. सं. 16/83/2013-बीओआई दिनांक 3/9/2013 और 1/6/2011 तथा इसके पश्चात दिनांक 1.04.2015 को हुए संशोधन एवं नामांकन की भरने की तारीख तक अन्य दूसरे संशोधन के अनुसार पत्र संख्या 16/17/2010-बीओआई दिनांक 13/10/2011 द्वारा अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण ब्यौरे।

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:-
- if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - if he holds any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under clause (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and.
- (B) If he/she is not found to be 'fit and proper' person, by the Nominations Committee of the Directors of the Bank In terms of RBI Notifications No. DBOD.No.BC.No.46 & 47/ 29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD. No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and extant GOI guidelines.

Gist of Guidelines for selection of part time Non-Official Director (NOD)

A Director already on the Board of a Bank/FI, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.

No person may be re-nominated as a NOD on the Board of a Bank/FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years, whichever is longer.

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD/shareholder-Director on the Board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently.

Government guidelines for selection of part time NODs shall be applicable for election of Shareholder Directors also.

Full details are as per Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India letter no. F. No. 16/83/2013 – BOI dated 03.09.2013 and guidelines for selection of part time Non-Official Director vide letter no. 16/17/2010-BO.I dated 13.10.2011 as on 01.06.2011 and subsequent amendment thereto dated 01/04/2015 and any other amendment as on date of filing of nominations.

प्रत्याशियों को शेयरधारकों की सूची

बैंक के शेयरधारकों की सूची, जिसकी 22.05.2015 (कट-ऑफ तिथि) है, "पंजाब नेशनल बैंक," नई दिल्ली/दिल्ली के पक्ष में, देय अधिसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के जरिए रू. 50,000/- (रुपये पच्चास हजार केवल) का भुगतान करने पर बिक्री के लिए दिनांक 27.05.2015 से कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग प्रधान कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 से उपलब्ध होगी। इच्छुक प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण भी कर सकते हैं और उससे उद्धरण निकाल सकते हैं।

शेयर धारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, पंजाब नेशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5-संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 में दिनांक 27.05.2015 से 15.06.2015 तक सभी कार्यदिवसों अर्थात् सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक और शनिवार को प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक खुला रहेगा जिससे प्रत्याशी शेयरधारक रजिस्टर के किसी भाग के उद्धरण ले सके या सम्बन्धित भाग को कम्प्यूटर प्रिंट लेने का बैंक से अनुरोध कर सके जिसके लिए उन्हें 5/- रुपये प्रति हजार शब्द या उसके अंश की दर से उसका पूर्व भुगतान करना होगा।

निर्वाचन में भागीदारी

पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000 के खंड 64 (i) तथा (ii) के अनुसार दिनांक 22.05.2015 को (कट-ऑफ तिथि) एनएसडीएल/सीडीएसएल/एसटीए द्वारा तैयार लाभग्राहियों/ शेयरधारकों के रजिस्टर में जिन शेयरधारकों के नाम हैं वे निर्वाचन में भाग लेने के हकदार हैं अर्थात् केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निदेशकों के निर्वाचन में नामांकन करने, चुनाव लड़ने और वोट करने के हकदार हैं।

नामांकन :

नामांकन की वैधता

विनियमन के विनियम 65 और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी. नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2010-11 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी.नं. बीसी.नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा किंतु उपबंध यह है कि :

- दिनांक 22.05.2015 (कट ऑफ तिथि) को पंजाब नेशनल बैंक में कम से कम 100 शेयर (एक सौ शेयर) धारित / शेयरधारक हो तथा दिनांक 15.06.2015 तक कम से कम 100 शेयर धारित करता हो और उसके बाद भी अगर वह निर्वाचित होता है/होती है।
- वह विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना, विनियमन अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अधीन निदेशक नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख यथा 15.06.2015 को निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
- नामांकन लिखित रूप से हो और उस पर इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक रूप से नियत अटार्नी के हस्ताक्षर हों परंतु यह कि यदि शेयरधारक कोई, निगमित निकाय हो तो उक्त निगमित निकाय के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

A list of shareholders of the Bank as on 22/05/2015 (Cut-off date) will be available for sale on and from 27/05/2015 on pre-payment of ₹50,000/- (Rupees fifty thousand only) by a demand draft/pay order of a Scheduled Bank in favour of "Punjab National Bank" payable at New Delhi/Delhi along with a request addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001, The intending candidates may also inspect the Register of shareholders and take extracts there from.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of shareholders will be open for inspection by the shareholders, with the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001, on all working days commencing from 27/05/2015 till 15/06/2015 between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. on weekdays and Saturdays between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. for the purpose of enabling the candidates to take extracts of any part from the Register of Shareholders or request the Bank for computer prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of ₹ 5/- for every thousand words or part thereof.

PARTICIPATION IN ELECTION

In terms of Clause 64(i) and (ii) of PNB (Shares & Meetings) Regulations, 2000, such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL/Share Transfer Agent (STA) as on 22/05/2015 (Cut-off date) shall be entitled to nominate, contest and vote in the election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

NOMINATIONS:

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India – DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2010-11 dated 01.11.2007 and DBOD No. BC No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a director will be valid provided:

- He/she is a shareholder holding as on 22/05/2015 (Cut-off date), a minimum of 100 (one hundred) shares in Punjab National Bank and continue to hold a minimum of 100 shares till 15/06/2015 and thereafter if he is elected.
- As on 15/06/2015 being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a director under the Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations or RBI Notifications and GOI guidelines.
- The nomination is in writing signed by at least 100 shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Corporate Body may be made by a resolution of the Directors of the said Corporate Body and where it is so made, a copy of the resolution certified to

है और जहां ऐसा किया जाता है, वहां जिस बैठक में यह पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की एक सत्यप्रति बैंक के कम्पनी सचिव, पंजाब नेशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 के नाम प्रेषित की जाएगी और उक्त प्रति को ऐसी कम्पनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

(घ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा किसी न्यायाधीश, जिलाधीश, आशवासन रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का घोषणा पत्र नामांकन के साथ संलग्न किया गया है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक है तथा इस अधिनियम के अधीन या इस योजना या इन विनियमों के अधीन निदेशक होने के अयोग्य नहीं है।

(ड.) इस नोटिस के साथ नामांकन फार्म और विनियमन द्वारा यथानिर्धारित घोषणा फार्म और प्रोफार्मा संलग्न हैं। इन प्रपत्रों सहित संपूर्ण नोटिस बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) पर भी उपलब्ध है।

नामांकन फार्मों का प्रस्तुत किया जाना :

ये सभी इस नोटिस के साथ भेजे गये प्रारूपों में 'मोहरबंद लिफाफे में' कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 को सभी दृष्टियों से पूर्ण सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस में अर्थात् दिनांक **15 जून, 2015 को सांय 5.00 बजे** बैंक कार्य समय समाप्त होने से पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

क. विधिवत् भरा हुआ घोषणा पत्र

ख. चुनाव लड़ने के पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों की ओर से नामांकन

ग. व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा उसके साथ एक वचनपत्र जिसके साथ सम्बन्धित दस्तावेज, प्रमाण पत्र, होंगे जैसे कि व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि के प्रमाण पत्र इत्यादि।

नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनाव :

(क) नामांकनों की जांच, नामांकनों की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहले कार्यदिवस 16.06.2015 को की जायेगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(ख) नामांकनों की जांच भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अधीन बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा भी की जाएगी।

(ग) यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन हो तो ऐसे नामांकित उम्मीदवार को तुरन्त निर्वाचित हुआ समझा जायेगा एवं उसका नाम और पता पीएनबी (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2000 के खंड 66 (i) और (iii) के अनुसार निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

(घ) आयोजित हो रहे चुनाव के समय, यदि एक से अधिक वैध नामांकन हैं तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए

be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

D. The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified from being a director, either under the Regulation Act or the Act or Scheme or the Regulations or RBI Notification or GOI guidelines.

E. The Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed to this notice. The entire notice inter alia comprising these Proforma is also available on the Bank's Website: www.pnbindia.in. (Investor Info Page)

Submission of nomination forms

Shareholders desirous of contesting the election of Director should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a SEALED ENVELOPE to the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001 together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before closing hours of the Bank at **5.00 pm on 15th June, 2015.**

- Duly filled in Declaration Form;
- Nominations from minimum of 100 shareholders entitled to nominate in the elections;
- Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz., Bio Data, Certificates of Educational qualification, experience, etc.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

- Nominations shall be scrutinized by the Bank on 16/06/2015 i.e. the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notifications.
- If there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected in terms of Clause 66(i) and (iii) of PNB (Shares & Meetings) Regulations, 2000.
- In the event of an election being held, if the valid nominations are more than one, the names of the candidates shall be published in the news papers. The

जायेंगे। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को चुना हुआ समझा जायेगा और उनके नाम बैठक में अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जायेंगे और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जायेंगे। वे परिणाम की घोषणा के पश्चात के दिन से ही कार्यभार संभालेंगे।

(ड.) यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटान विनियमन के विनियम 67 के अनुसार किया जायेगा।

नामांकन वापस लेना

यदि कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह बैंकिंग का समय समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय ऐसा करने के लिए पात्र होगा अर्थात् दिनांक 17.06.2015 को सायं 5.00 बजे से पूर्व।

निदेशकों का हित

बैंक के किसी भी निदेशकों का कारोबार की उपर्युक्त मद में कोई हित नहीं है।

निर्वाचन प्रक्रिया याचिका सं० 2699/2015 (श्री आदर्श मालपानी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य) तथा याचिका सं० 2700/2015 (श्री पुष्पजीत यादुका बनाम पीएनबी एवं अन्य), अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 19.03.2015 को ईजीएम में निर्वाचन के स्थगन के निर्णय को चुनौती देने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन है।

टिप्पणियाँ :

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने और मत देने के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर उपस्थित होने और मत देने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी पात्र होगा/होगी तथा ऐसी प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है लेकिन ऐसी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। बैठक में प्रॉक्सी पत्र के गारंटीकर्ता को वोट देने का अधिकार नहीं होगा। प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त की जाने वाली लिखत को प्रभावी करने के लिए, उसे शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में, बैठक की तारीख के कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् बृहस्पतिवार 25 जून, 2015 को कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर दी जाए। प्रॉक्सी फार्म का प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक बैंक की बैठक में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक, जिस में यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की सत्यप्रति प्रधान कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के शेयर विभाग, वित्त प्रभाग में, बैठक की तारीख के कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात् बृहस्पतिवार, 25 जून, 2015 को कारोबारी समय की समाप्ति अर्थात् अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर दी जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

3. शेयरधारकों के रजिस्टर का समापन

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें 24.06.2015 (बुधवार) से 30.06.2015 (मंगलवार) तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and his/her name will be declared by the Chairman after receipt of scrutinizer's report and will also be published in newspapers. He/she will assume office on the day after the declaration of results.

e. If there is any dispute the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

Withdrawal of Candidature

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 pm on 17/06/2015.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of Bank is interested in the aforementioned item of business.

The Election shall be subject to the decision of the High Court, Delhi, on the writ petition no 2699/2015 (Mr. Adarsh Malpani v/s PNB & others) and writ petition no 2700/2015 (Mr. Puspjeet Yaduka v/s PNB & another), inter-alia, challenging the decision to postpone the elections in the EGM on 19/03/2015.

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a Proxy who is an officer or an employee of the Bank. The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting. The proxy in order to be effective, must be received by the Bank at the Share Department, Finance Division, Head Office, 5, Sansad Marg, New Delhi-110001 not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Thursday, the 25th June, 2015.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting as duly authorized representative of a body corporate, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Thursday, the 25th June, 2015. No person shall be appointed as an authorized representative, who is an officer or an employee of the Bank.

3. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Wednesday, the 24th June 2015 to Tuesday, the 30th June 2015 (both days inclusive).

4. वोटिंग का अधिकार

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक का कोई भी शेयरधारक, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल वोट के अधिकार के 10% से अधिक वोटिंग के अधिकार का हकदार नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में पहले दर्ज होगा, उसे वोट देने के संबंध में एकल धारक माना जाएगा।

5. लाभांश के भुगतान के लिए ई-क्रेडिट अधिदेश /बैंक खाते के ब्यौरे, पते में परिवर्तन तथा अन्य विवरण

(क) मूर्तरूप में शेयरधारिता

मूर्तरूप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन, बैंक खाते का ब्यौरा अर्थात् बैंक का नाम, शाखा का पता, खाता संख्या, माईकर/आईएफएस कोड (जैसा कि चेक में दिया गया है) एवं ई-क्रेडिट अधिदेश आदि हमारे शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् बीटल फाईनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लि., बीटल हाउस, तृतीय तल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली - 110 062 को सूचित करें ताकि वे अपने खाते में सीधे लाभांश एवं पत्राचार समय पर प्राप्त कर सकें। ई-क्रेडिट अधिदेश/बैंक विवरण फार्म का प्रारूप वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.pnbindia.in पर भी उपलब्ध है।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारिता

इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका पता, बैंक खाते का ब्यौरा अर्थात् बैंक का नाम, शाखा पता, माईकर/आईएफएस कोड जैसा कि चेक में दिया गया है एवं ई-क्रेडिट अधिदेश आदि उनके डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) के पास यथा परिवर्तित रूप में विधिवत् अद्यतन हों।

6. लाभांश का प्राप्त न होना

एतद्वारा शेयरधारक को सूचित किया जाता है कि सांविधिक प्रावधानों के अनुसार, यदि लाभांश राशि देय तिथि से 7 वर्षों तक बिना भुगतान दावा के रहती है, तब भुगतान न की गई कथित राशि भारत सरकार द्वारा गठित निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण फंड (आईईपीएफ) में अंतरित करनी होती है। अतः वित्त वर्ष 2007-08 के लिए लाभांश खाते में अप्रदत्त/अदावाकृत राशि आईईपीएफ को अंतरित करना शेष है। अतः वे शेयरधारक जिन्हें उक्त लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे अनुरोध है कि वे इसके लिए कृपया अपना दावा 10.08.2015 तक प्रस्तुत करें अतः जिन शेयरधारकों को लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे अनुरोध है कि वे राशि के दावे के लिए शेयर अंतरण एजेंट से सम्पर्क करके उन्हें अपना नवीनतम पता, मोबाइल/टेलीफोन नं., फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी तथा बैंक का ब्यौरा अर्थात् बैंक का नाम, शाखा का पता, बैंक खाता संख्या एवं आईएफएस कोड इत्यादि दें। उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर बैंक उन्हें देय राशि का भुगतान कर देगा। कृपया नोट करें कि अप्रदत्त राशि के आईईपीएफ खाते में अंतरण के पश्चात् बैंक के या आईईपीएफ के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत दावा नहीं किया जा सकेगा। अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांशों की वर्षवार सूची बैंक के वेबसाइट www.pnbindia.in के 'इन्वेस्टर्स इन्फो' के अंतर्गत अपलोड है।

4. VOTING RIGHTS

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended) no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

5. DIVIDEND MANDATE FOR E-CREDIT/BANK ACCOUNT DETAILS, CHANGE OF ADDRESS AND OTHER PARTICULARS

a) Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Share Transfer Agent (STA) i.e. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited (Unit: PNB) 'Beetal House', 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi 110062, regarding the change of address, email address, bank account details viz. name of Bank, Branch Address, Bank Account Number, MICR/IFS Code as given on the cheque and e-credit mandate etc. to update the records for receipt of beneficial interest/communications, if any. The format for e-credit mandate/Bank details form is available on Bank's website www.pnbindia.in.

b) Holding of shares in Electronic Form

Beneficial Owners holding shares in Electronic form are requested to ensure that their address, Bank details viz. name of Bank, Branch address, Bank Account Number, MICR/IFS Code as given on the cheque and e-credit mandate etc. are duly updated with their Depository Participant (DP) as and when there is any change.

6. NON RECEIPT OF DIVIDEND

Shareholders are also hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to Investor Education & Protection Fund (IEPF) set up by Central Government. As such, the unpaid/unclaimed amount in Dividend Account for FY 2007-08 is due for transfer to IEPF. The shareholders who have not received/claimed the said dividend(s) are, therefore, requested to claim the same not later than 10.08.2015 by giving their latest address, Mobile/Telephone No. Folio No./ DP-ID & Client ID and Bank details viz. Bank name, branch address, Bank account no. and IFS code etc. for claiming the amount. Please note that once the unpaid amount is transferred to IEPF, no individual claim shall lie against the Bank. Year-wise list of unpaid/unclaimed dividend from 2007-08 onwards is uploaded on Bank's website www.pnbindia.in under 'Investors' Info'.

7. शेयरधारकों से अनुरोध

- (क) शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी। अतः शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे एतद्द्वारा भेजी जा रही वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति अपने साथ लाएं। वार्षिक रिपोर्ट, परिशिष्ट सहित बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर भी उपलब्ध की जा रही है।
- (ख) 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट के लिए उन सभी शेयरधारकों को, जिनमें ई-मेल,आईडी, एसटीए में पंजीकृत हैं, इलैक्ट्रॉनिक प्रति भेजी जाएगी। डिपाजिटरी सहभागी जब तक कि किसी शेयरधारक द्वारा उनकी हार्ड प्रति न मांगी हो। शेयरधारक को ई-मेल पंजीकृत नहीं है उन्हें वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 की एक भौतिक रूप में भेजी जाएगी।
- (ग) 14वीं वार्षिक आम बैठक में नोटिस की इलैक्ट्रॉनिक प्रति जिसमें ई-वोटिंग की प्रणाली और व्यवहार अनुबंध, उपस्थिति पर्ची और प्रॉक्सी फार्म पत्राचार आदि उद्देश्य के लिए जिनकी जब तक कि कोई शेयरधारक भौतिक रूप से मांग न करें। सभी शेयरधारकों जिनकी ईमेलआईडी एसटीए/डिपाजिटरी सहभागी के साथ पंजीकृत है शेयरधारक को ई-मेल पंजीकृत नहीं है उन्हें वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 की एक भौतिक रूप में भेजी जाएगी।
- घ) शेयरधारक यह भी नोट करें कि 14वीं एजीएम/वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 के नोटिस बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर भी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। कार्य दिवसों पर सामान्य कारोबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपयुक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5, संसद मार्ग, नयी दिल्ली-110001 बैंक के प्रधान कार्यालय में भी उपलब्ध होगी। इसके पश्चात् ई-कम्युनिकेशन, शेयरधारकों के लिए पंजीकरण भौतिक रूप में ऐसी सूचना प्राप्त करने के लिए फ्री आफ कास्ट डाक द्वारा विशेष अनुरोध करने पर प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। शेयरधारक अपना अनुरोध बैंक की इमेल आईडी: hosd@pnb.co.in को भी भेज सकते हैं।
- (ड.) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक स्थल पर कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।
- (च) कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडीटोरियम के अंदर, ब्रीफकेस, खाने का सामान एवं अन्य वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं है। बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करें।

8. मतदान प्रक्रिया

इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों साथ पठित सूचीकरण करार के खंड 35 बी, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम 2015 द्वारा प्रतिस्थापित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक शेयरधारकों को आगामी एजीएम में विचारणीय संकल्पों पर इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान करने की सुविधा दे रहा है और यह कार्य निष्पादन सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

7. REQUEST TO SHAREHOLDERS

- a. Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the meeting. Shareholders/ Proxyholders/Authorized Representatives are, therefore, requested to bring their copies of the Annual Report to the meeting. The Annual Report along with formats is being posted on the Bank's Website at www.pnbindia.in
- b. Electronic copy of the Annual Report for 2014-15 is being sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the STA / Depository Participant(s) for communication purposes unless any shareholder has requested for a hard copy of the same. For shareholders who have not registered their email address, physical copies of the Annual Report for 2014-15 is being sent in the permitted mode, separately.
- c. Electronic copy of the Notice of the 14th Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting along with Annexures, Attendance Slip and Proxy Form is being sent to all the shareholders whose email IDs are registered with the STA/ Depository Participants(s) for communication purposes unless any shareholder has requested for a hard copy of the same. For shareholders who have not registered their email address, physical copies of the Notice of the 14th Annual General Meeting of the Bank inter alia indicating the process and manner of e-voting along with Attendance Slip and Proxy Form is being sent in the permitted mode.
- d. Shareholders may also note that the Notice of the 14th AGM and the Annual Report for 2014-15 will also be available on the Bank's website www.pnbindia.in for download. The physical copies of the aforesaid documents will also be available at the Bank's Head Office at Share Department, Finance Division, 5 Sansad Marg, New Delhi-110001 for inspection during normal business hours on working days. Even after registering for e-communication, shareholders are entitled to receive such communication in physical form, upon making a specific request, by post, free of cost. The shareholders may also send their requests to the Bank's email-id: hosd@pnb.co.in
- e. Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.
- f. Due to security reasons brief cases, eatables & other belongings are not allowed inside the auditorium. Persons attending the meeting are therefore advised to make their own arrangements for safe keeping of their articles.

8. VOTING PROCESS

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

1. In compliance with provisions of Clause 35 B of the Listing Agreement read with provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 the Bank is providing the shareholders facility to exercise their right to vote on Resolutions proposed to be considered at the forthcoming AGM by electronic means and the business may be transacted through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

- II. मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी बैठक में उपलब्ध होगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा पहले अपना वोट नहीं किया है, मतपत्र के माध्यम से अपना अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।
- III. वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट किया गया है, बैठक में भाग ले सकता है परन्तु वह दुबारा अपना वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- IV. सीडीएसएल ई-वोटिंग के लिए दो "EVSN" नं. उपलब्ध करायेगा। एक चुनाव के लिए (एजेंडा मद संख्या-3) और एक एजेंडा मद संख्या 1 और 2 के लिए, वह व्यक्ति जो 22.05.2015 को शेयरधारक नहीं है, उसे चुनाव में वोट करने का कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन एजेंडा मद संख्या 1 व 2 पर वोट कर सकता है।
- V. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं तरीका निम्नवत् है :
- (i) ईवोटिंग की अवधि 27.06.2015 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 29.06.2015 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में कट आफ तिथि 22.05.2015 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमटेरियालाइज्ड रूप में लेखा परीक्षित खाते एवं लाभांशों की घोषणा के अनुमोदन से संबंधित एजेंडा मद सं0 1 और 2 पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाल सकते हैं, दिनांक 23.06.2015 की रिकॉर्ड तिथि तक शेयरधारक निदेशक तथा धारित शेयरों के शेयरधारकों के चुनाव से संबंधित एजेंडा मद सं0 3 से संबंधित अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाल सकते हैं। ई-वोटिंग के बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल हटा दिया जाएगा।
- (ii) शेयरधारक, ई-वोटिंग के लिए वेबसाईट www.evotingindia.com पर लॉगिन करें।
- (iii) Shareholders टैब पर क्लिक करें।
- (iv) अब अपनी यूजर आईडी प्रविष्ट करें
- क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी
- ख) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर की डीपीआईडी के बाद 8 अंकों की ग्राहक आईडी
- ग) भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले सदस्यों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो सं0 प्रविष्ट की जानी चाहिए।
- v. इसके पश्चात प्रदर्शित इमेज सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- vi. यदि आप डीमैट रूप में शेयर धारित करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉगिन किया है और किसी कंपनी के लिए पूर्व में वोटिंग किया है, तब मौजूदा पासवर्ड उपयोग में लाएं।
- vii. यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों की अनुपालना करें :
- II. That the facility for voting, through Ballot paper shall also be made available at the meeting & members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through Ballot paper.
- III. That the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. CDSL shall provide 2 EVSN numbers for e-voting. One for election (agenda item number 3) and one for agenda items number 1& 2. A person who is not a share holder on 22/05/2015 will not get any voting rights on election but may get to vote on agenda item number 1&2.
- V. The process & manner for e-voting are as under:
- (i) The voting period begins on 27/06/2015 (9:00 am) and ends on 29/06/2015 (5:00 pm). During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22/05/2015, may cast their vote electronically for agenda item number 3 relating to election of share holder Director & Share holders holding shares as on 23/06/2015 may cast their vote electronically on agenda item numbers 1&2 relating to approval of Audited Accounts & declaration of Dividend. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- ii The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com
- iii Click on "Shareholders" tab.
- iv Now Enter your User ID
- a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
- b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- v Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- vi If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- vii If you are a first time user follow the steps given below:

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया अपना 10 अंकों का एल्फा न्यूमेरिक पैन दर्ज करें (डीमैट और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) <ul style="list-style-type: none"> सदस्य जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागी के साथ/ अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले दो अक्षरों और क्रम संख्या के आठ अंकों का उपयोग करें। यदि क्रम संख्या 8 अंकों से कम है तो कैपिटल लैटर्स में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद लागू संख्या 0 दर्ज करें। उदाहरणस्वरूप : यदि क्रम संख्या 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार है तो पैन फील्ड में R A00000001 दर्ज करें ।
जन्म तिथि	अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथि दिन/ माह/ वर्ष के प्रारूप में दर्ज करें ।
लाभांश बैंक ब्यौरा	अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में दर्ज लाभांश बैंक ब्यौरा दर्ज करें। <ul style="list-style-type: none"> कृपया लॉगिन करने के लिए जन्म तिथि या लाभांश बैंक ब्यौरा दर्ज करें । यदि ब्यौरा कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ दर्ज नहीं है, कृपया डिविडेंड बैंक डिटेल्स फील्ड में सदस्य आईडी /फोलियो संख्या दर्ज करें ।

viii इन ब्यौरों को उचित प्रकार से दर्ज करने के बाद, SUBMIT टेब पर क्लिक करें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सीधे कंपनी सलेक्शन स्क्रीन पर जाएंगे तथापि डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य पासवर्ड क्रिएशन विकल्प में जाएंगे जिसमें उनसे नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना अपेक्षित है। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के संकल्पों पर वोटिंग हेतु डीमैट शेयरधारकों द्वारा किया जाना है, जिस पर वे वोटिंग के लिए पात्र है बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-वोटिंग चुनें। यह दृढ़तापूर्वक सुझाव दिया जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाये रखने में सावधानी बरतें।

(x) भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए, ब्यौरे का उपयोग इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

(xi) पंजाब नैशनल बैंक के लिए EVSN पर क्लिक करें जिस पर आपने वोट करने के लिए चुना है।

(xii) वोटिंग पेज पर, आपको 'RESOLUTION DESCRIPTION' दिखेगा और इसी के विरुद्ध वोटिंग के लिए 'YES/NO' विकल्प दिखेगा। अपनी इच्छानुसार YES अथवा NO विकल्प चुनें। विकल्प Yes का तात्पर्य है कि आप संकल्प के समर्थन में हैं और विकल्प NO का तात्पर्य है कि आप संकल्प के विरुद्ध हैं। शेयरधारक निदेशक के चुनाव हेतु संकल्प के संबंध में, अलग EVSN सृजित की गयी है। 22.05.2015 (कट ऑफ तिथि) को शेयरधारित करने वाले शेयरधारक, शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए अपना वोट करने हेतु पात्र हैं। वोट करने के लिए, आपसे अनुरोध है कि संबंधित EVSN पर क्लिक करें। तब आप सीधे वोटिंग पेज पर पहुंचेंगे। वोटिंग पेज पर आपको पात्र उम्मीदवारों के नाम दिखायी देंगे। आपसे अपेक्षित

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) <ul style="list-style-type: none"> Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio. <ul style="list-style-type: none"> Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

viii After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

ix Members holding shares in physical form will then reach directly the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

x For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

xi. Click on the relevant EVSN for Punjab National Bank on which you choose to vote.

xii On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution. In respect of the resolution for election of shareholder director, separate EVSN is created. Shareholders holding Shares as on 22/05/2015 (cutoff date) are eligible to cast their vote for election of Shareholder Director. For casting vote, you are requested click on the relevant EVSN and you will then be directed to voting page. On the voting page you will see the names of eligible

है कि एक उम्मीदवार जिसके पक्ष में आप वोट करना चाहते हैं के नाम के पहले अपनी वरीयता चिन्हित करें। यह EVSN केवल उन शेयरधारकों को दिखाई देगा जो 22.05.2015 को शेयरधारित करते हैं।

- xiii यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरा देखना चाहते हैं तो “RESOLUTION FILE LINK” पर क्लिक करें।
- xiv संकल्प चयन के पश्चात् आपने उस पर वोट करने का निर्णय लिया, SUBMIT पर क्लिक करें। पुष्टि बाक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट सुनिश्चित करना चाहते हैं, OK पर क्लिक करें लेकिन वोट बदलने के लिए CANCEL पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- xv एक बार आपने संकल्प पर अपना वोट CONFIRM कर दिया तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- xvi आप वोटिंग पेज पर Click here to print विकल्प पर क्लिक करके स्वयं द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
- xvii यदि डीमैट खाताधारक परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और FORGOT PASSWORD पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा तैयार किया गया ब्यौरा दर्ज करें।
- xviii गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं कस्टोडियन्स के लिए नोट :
- गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन से अपेक्षित है कि www.evotingindia.com पर लॉगिन करें और स्वयं को कारपोरेट्स के रूप में पंजीकृत करें।
 - उपक्रम का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करना चाहिए।
 - लॉगिन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद कम्प्लेक्स यूजर द्वारा उपयोग की जाने वाली एडमिन लॉगिन और पासवर्ड सृजित करना चाहिए/कम्प्लेक्स यूजर खाता (तां) जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं को लिंक करने में सक्षम होगा।
 - खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट देने के लिए सक्षम होंगे।
 - उन्हें बोर्ड संकल्प और पावर आफ एटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति अपलोड करनी चाहिए जिसे उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है, इसे सत्यापित करने के लिए संवीक्षक हेतु सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
- VI. ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मामले के लिए, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और help section के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evotingindia.com पर मेल लिख सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए अधिकारी का संपर्क ब्यौरा निम्नवत है।

नाम - श्री वेनसेसलॉस फुरटाडो
पदनाम- उप प्रबंधक
पता - सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड
ईमेल आईडी- helpdesk.evoting@cdslindia.com
फोन नं. - 18002005533

candidates. You are required to mark your preference before the name of one candidate in whose favour you want to cast your vote. This EVSN will be visible to only those Shareholders who hold shares as on 22/05/2015.

- xiii Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- xiv After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- xv Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xvi You can also take print out of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- xvii If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

xviii Note for Non-Individual Shareholders & Custodians:

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to <https://www.evotingindia.com> and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin log-in & password. The compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- VI. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The contact details of official for e-voting are as follows:

Name – Mr. Wenceslaus Furtado
Designation – Deputy Manager
Address – Central Depository Services (India) Ltd.
Email-ID – helpdesk.evoting@cdslindia.com
Phone no. - 18002005533

- vii यदि आप सीडीएसएल के साथ ई-वोटिंग के लिए पहले ही पंजीकृत हैं तब आप मतदान के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का उपयोग कर सकते हैं।
- viii आप फोलियो के यूजर प्रोफाइल में अपना मोबाइल नं. और ईमेल आईडी भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में किये जाने वाले पत्राचारों के लिए किया जा सकता है।
- ix सदस्यों के वोटिंग अधिकार एजेंडा मद संख्या 1 और 2 के लिए कट ऑफ तिथि 23.06.2015 तथा एजेंडा मद सं. 3 के लिए 22.05.2015 को बैंक की चुकता इक्विटी शेयरपूजी के उनके शेयर के अनुपात में होंगे।
- x कोई व्यक्ति जिसने एजीएम नोटिस डिस्पैच होने के बाद कंपनी के शेयर अर्जित किए हैं और कंपनी का सदस्य बना है और कट ऑफ तिथि अर्थात् 23.06.2015 को शेयर धारित करता है, evoting@cdsl.co.in या आरटीए पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि आप पहले ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तब आप अपना वोट करने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गये हैं तो आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध विकल्प "Forget user Details/ password" का उपयोग कर अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं या सीडीएसएल का टोल फ्री नं. 18002005533 पर संपर्क कर सकते हैं।
- xi) एक व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि को सदस्य या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गये लाभार्थी रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति मतपत्र द्वारा वार्षिक आम बैठक में वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा।
- xii) सुश्री आशु गुप्ता, मै. आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई-मेल आईडी agc.scrutinizer@gmail.com) में कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ 4123, सीपी नं. 6646) को बैंक द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- XIII. अध्यक्ष उन सदस्यों को जो वार्षिक आम बैठक में उपस्थित हैं लेकिन रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त कर अपना वोट नहीं किया है, मतपत्र या मतदान पत्र का उपयोग कर संवीक्षक की सहायता से संकल्पों जिस पर वोटिंग की जानी है पर चर्चा के बाद वार्षिक आम बैठक में वोटिंग की अनुमति देगा।
- XIV. संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक में वोटिंग की समाप्ति के पश्चात् सबसे पहले बैठक में किए गए वोटों की गिनती करेगा और उसके पश्चात् (2) साक्ष्यों, जो बैंक के नियोजन में न हों, की उपस्थिति में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए कुल वोटों को अनब्लॉक करेगा और यह प्रक्रिया एजीएम की समाप्ति के तीन दिनों के भीतर की जायेगी। अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में अधिकृत व्यक्ति, जो इसे प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और वोटिंग के तुरंत बाद परिणामों की घोषणा करेगा, को पक्ष या विपक्ष में डाले गये वोट की यदि कोई हो, समेकित संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- XV. संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों की घोषणा, बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर की जाएगी और सीडीएसएल की वेबसाइट पर बैंक की ईजीएम में संकल्प पारित होने के दो दिनों के भीतर उपलब्ध करा दी जायेगी और स्टॉक एक्सचेंज को सूचित कर दिया जाएगा।
- VII. If you are already registered with CDSL for e-voting earlier then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
- VIII. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- IX. The Voting Rights of the members shall be in proportion to their share of the paid up Equity share capital of the Bank as on cut off date of 23/06/2015 for agenda item number 1 & 2 and 22/05/2015 for agenda item number 3.
- X. Any person who acquires the shares of the Bank and become member of the Bank, after dispatch of the notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. 23.06.2015, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdsl.co.in or RTA. However, if you are already registered with CDSL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forget your password, you can reset your password by using "Forget user Details/ password" option available on www.evotingindia.com or contact CDSL at the following toll free no.: 18002005533.
- XI. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting through ballot paper.
- XII. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID – agc.scrutinizer@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- XIII. The Chairman shall, at the Annual General Meeting, at the end of discussion on the Resolutions on which voting is to be held, allow voting, with the assistance of scrutinizer, by use of "ballot paper" or "polling paper" for all those members who are present at the annual general meeting but have not cast their votes by availing the remote e-voting facility.
- XIV. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses, not in the employment of the Bank and shall make not later than three days of conclusion of the AGM a consolidated scrutinizer's report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorized by him in writing who shall countersign the same and declare the result of voting forthwith.
- XV. The Results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.pnbindia.in and on the website of CDSL within three days from the AGM of the Bank and communicated to the Stock Exchanges.

उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपना ई-वोट नहीं किया है उनके लिए दिनांक 30.06.2015 (ईजीएम तिथि) को चुनाव प्रक्रिया


- प्रस्तावित संकल्पों के लिए वोटिंग गुप्त मतदान द्वारा की जायेगी।
- इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा करने के तुरंत बाद मतदान होंगे और 1.00 बजे तक जारी रहेंगे।
- पंजीकरण के समय जारी मतपत्र पास के अभ्यर्षण पर शेयरधारकों/प्राक्सीधारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य से स्थापित काउंटरों पर मतदान जारी किए जाएंगे।
- शेयरधारक एजेण्डा मद संख्या 3 के लिए मतपत्र में अपनी पसन्द के एक उम्मीदवार के नाम के सामने रबड़ स्टाम्प (X) लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और एजेण्डा मद संख्या 1 और 2 के लिए YES अथवा NO के सामने, जैसी उसकी इच्छा हो और उन्हें मत पत्र पेटिका में डाल सकता है।

9. उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्राक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में उचित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा वार्षिक आम बैठक में इसे सुपुर्द करें। प्राक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर 'प्राक्सी' या 'प्राधिकृत' यथास्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। मतपत्र पास वाला भाग चुनाव के समय मतपत्र प्राप्त करने के लिए सौंप दिया जाएगा।

उपर्युक्त के अध्यक्षीन विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो कट-ऑफ तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट करेगा/करेगी।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते पंजाब नैशनल बैंक



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12/05/2015

(गौरी शंकर)
कार्यपालक निदेशक

Poll Process on 30.06.2015 (AGM date) for those who have not cast their remote e-vote.


- The voting for the proposed resolutions will be by Poll through Secret Ballot.
- The polling will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and continue up to 1.00 p.m.
- Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders / proxy holders / authorized representatives on surrender of Ballot Paper Pass issued at the time of registration.
- Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the name of one candidate of their choice in the Ballot Paper for agenda item no. 3 and against 'Yes' or 'No', as desired by them, for agenda items no. 1 & 2 and deposit them in the Ballot Box (es).

9. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS- CUM-BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-off Date** shall have one vote for each share held by him/her.

By order of the Board of Directors
for PUNJAB NATIONAL BANK



Place: NEW DELHI
Date: 12/05/2015

(Gauri Shankar)
Executive Director